बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्रांकः–3 कृ० / बजट विविध –06 / 2017 2772 कृ० पटना दिनांकः– 12/7/2017 2017

प्रेषक,

प्रभु राम,
निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा मे,

कृषि निदेशक, बिहार पटना / निदेशक, उद्यान / भूमि संरक्षण / बामेति / पी०पी०एम० / अपर निदेशक (शष्य) कृषि निदेशालय, बिहार, पटना / सभी संयुक्त निदेशक (शष्य) / संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण), बिहार, पटना / संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण), कर्मशाला, पटना / संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण), पोस्ट हार्वेस्ट, बिहार, पटना / संयुक्त निदेशक (पौ०सं०), बिहार, पटना / संयुक्त कृषि निदेशक–सह– नियंत्रक, माप एवं तौल, बिहार, पटना / संयुक्त निदेशक (रसायन), गुण नियंत्रण / मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना / नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर / नियंत्रक, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर / सभी जिला कृषि पदाधिकारी / सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी / उप निदेशक (शष्य) शिक्षा, बिहार, पटना / उप निदेशक (शष्य) बीज निरिक्षण बिहार, पटना / उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण बिहार, पटना / उप निदेशक (शष्य) तेलहन बिहार, पटना / उप निदेशक (शष्य) सूचना बिहार, पटना / उप निदेशक (शष्य) पाट कृषि निदेशालय बिहार, पटना / उप निदेशक (कम्पोस्ट), बिहार, पटना / सभी उप निदेशक (पौ०सं०) / सभी उप निदेशक (शष्य), प्रक्षेत्र / उप निदेशक (शष्य) टाल दियारा चौड़ विकास, बिहार, पटना / उप कृषि निदेशक–सह–संयुक्त नियंत्रक, माप–तौल, पटना / मुजफ्फरपुर / भागलपुर / उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण), कृषि अभियंत्रण कर्मशाला, पटना / सभी सहायक निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला / सभी सहायक निदेशक (शष्य), बीज विश्लेषण प्रयोगशाला / सभी सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण) / सभी सहायक कृषि निदेशक–सह–उप नियंत्रक, माप तौल / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग / कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय– **बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम अंतर्गत श्रोत पर कटौती से संबंधित प्रावधान के अन्तर्गत निबंधन कराने के संबंध में।**

प्रसंगः **वाणिज्य कर विभाग का पत्रांकः–2177 दिनांक–29.06.2017।**

महाशय,

निदेशानुसार, उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि पूर्व में विभागीय पत्रांकः–2570 दिनांक–29.06.2017 द्वारा कृषि विभाग अंतर्गत सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम के अधीन श्रोत पर कर की कटौती से संबंधित प्रावधानों की पुस्तिका उपलब्ध कराते हुए इसमें संलग्न विहित प्रपत्र के अनुसार निबंधन कराने का अनुरोध किया गया था।

पुनः प्रासंगिक पत्रः– 2177 दिनांक–29.06.2017 की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 51 को अभी लागू नहीं किया जा रहा है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के निबंधन की ऑनलाइन प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया गया है। पुनः निबंधन प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने पर इसकी सूचना दी जाएगी।

अतः अनुरोध है कि निबंधन के लिए आवेदन दाखिल किये जाने हेतु आवश्यक तैयारी कर ली जाय। ताकि ऑनलाइन निबंधन प्रारम्भ होने पर ससमय आपके द्वारा आवेदन दाखिल किया जा सके।

अनुलग्नक–यथोक्त

विश्वासभाजन,

(प्रभु राम) 12/7/17
निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना

D:\year -2014\letter\letter 2017.docx

ज्ञापांक :- 2772 /कृ0, पटना दिनांक 14/7/ 2017

प्रतिलिपि :-वाणिज्य -कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, वाणिज्य कर विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. उप निदेशक, (शष्य), सूचना बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं सभी संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना

D:\year -2014\letter\letter 2017.docx

(19)

बिहार सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

पत्रांक :–बिक्री–कर / जी.एस.टी. / विविध–03 / 2017 2177 पटना, दिनांक– 29/6/17

प्रेषक,

सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव / सचिव।

विषयः बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन सभी विभागों / कार्यालयों को निबंधित किये जाने के संबंध में।

प्रसंगः विभागीय पत्रांक 1428 दिनांक 28.04.2017, 2059 दिनांक 21.06.2017 तथा अर्धसरकारी पत्र दिनांक 27.06.2017

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निबंधन लेने हेतु अनुरोध किया गया था। उक्त पत्र में यह उल्लेखित था कि निबंधन आवेदन ऑनलाइन जी0एस0टी0 के पोर्टल पर दाखिल करना है। यह प्रक्रिया दिनांक 25.06.2017 से प्रारंभ की गई थी। प्रासंगिक पत्र में यह भी उल्लेखित था कि सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी है एवं कटौती की गई राशि को अगले माह के 10 तारीख तक विहित रीति से जमा करने के लिए भी उत्तरदायी है।

2. सूचित करना है कि हालांकि माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 दिनांक 1.07.2017 से प्रभावी हो रहा है, परंतु अधिनियम की धारा 51 को अभी लागू नहीं किया जा रहा है। जी0एस0टी0 परिषद् द्वारा इस प्रावधान को दो माह के लिए स्थगित रखने की अनुशंसा के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के निबंधन की ऑनलाइन प्रक्रिया को भी फिलहाल रोक दिया गया है। यह प्रक्रिया पुनः दिनांक 20.07.2017 से प्रारंभ होने की संभावना है। निबंधन प्रक्रिया जी0एस0टी0एन0 द्वारा पुनः प्रारंभ किए जाने पर इसकी सूचना दी जाएगी।

3. अतः अनुरोध है कि अपने सभी अधीनस्थ कार्यालयों को उक्त तथ्य की सूचना देते हुए आवेदन दाखिल किए जाने हेतु आवश्यक तैयारी करने का निर्देश देने की कृपा की जाय, ताकि ऑनलाइन निबंधन प्रारंभ होने पर उनके द्वारा आवेदन दाखिल किया जा सके।

विश्वासभाजन,
29/6/17
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव,
बिहार, पटना।